न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –1009 / 2022

अनवान : –

1. श्रीचन्द पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. ओम प्रकाश पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. आशाराम पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दलीप पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. नन्दराम पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. तीजा पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 15 / 14 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि काशी पुत्र नत्थु व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 270 / 252 की कुल 0.7590 हैक्ट काशीराम पुत्र नत्थुराम व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 229 / 222 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि बिशनी देवी पत्नी काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशी पुत्र नत्थु, काशीराम पुत्र नत्थुराम व बिशनी देवी पत्नी काशीराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण के पिता व माता है। वादीगण के माता व पिता बिशनी देवी पत्नी काशीराम व काशी / काशीराम पुत्र नत्थु / नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है। काशीराम पुत्र नत्थुराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 [illegible] है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो [illegible] के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि [illegible] संख्या 1 ता 2 [illegible] ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही [illegible] दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण काशीराम पुत्र नत्थुराम व बिसना देवी पत्नी काशीराम किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में क़ाशी पुत्र नत्थु, काशीराम पुत्र नत्थुराम व बिशनी देवी पत्नी काशीराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण के पिता व माता है। वादीगण के माता व पिता बिशनी देवी पत्नी काशीराम व काशी/काशीराम पुत्र नत्थु/नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है। काशीराम पुत्र नत्थुराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादीगण की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:46 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को सुना किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 15/14 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि काशी पुत्र नत्थु व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 270/252 की कुल 0.7590 हैक्ट काशीराम पुत्र नत्थुराम व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 229/222 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि बिशनी देवी पत्नी काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशी पुत्र नत्थु, काशीराम पुत्र नत्थुराम व बिशनी देवी पत्नी काशीराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण के पिता व माता है। वादीगण के माता व पिता बिशनी देवी पत्नी काशीराम व काशी/काशीराम पुत्र नत्थु/नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है। काशीराम पुत्र नत्थुराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादीगण की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 15/14 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि काशी पुत्र नत्थु का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 270/252 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में काशीराम पुत्र नत्थुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 229/222 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में बिशनी देवी पत्नी काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाक[illegible]खिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2025 [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:46 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1009 / 2022

अनवान : –

1. श्रीचन्द पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. ओम प्रकाश पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. आशाराम पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दलीप पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. नन्दराम पुत्र काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. तीजा पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1009 सन 2022 निर्णय दिनांक 18/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 15 / 14 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि काशी पुत्र नत्थु का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 270 / 252 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में काशीराम पुत्र नत्थुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 229 / 222 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि में बिशनी देवी पत्नी काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:46 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर